

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE TEHSILDAR
TEHSIL- DANTARAMGARH, DISTRICT- SIKAR(RAJ.)

Ref. No.....2/16.....

Date:-18.02.2026

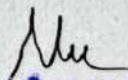
FORM-11(Rule7(1))

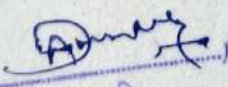
Land Use Certificate (Change of Land Use-CLU) Under the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agricultural Land for Non-Agricultural Purposes and Allotment) Rules,2012.

1	Name Of Institution	Sanskar College, Danta (Sikar)
2	Address of Land	Jeen Mata Bye pass Road, Danta, Sikar
3	Khasra No.(s)	1296/1/5,2594/1296,2595/1296,2593/1296,2596/1296
4	Total Land Area	11200 Sq. Mtr.
5	Purpose of Land Use	Educational
6	Permitted Non-Agricultural use as per CLU Approval	Approved
7	Name of competent authority	Tehsildar
8	Order/Reference No. & Date	

Certify that the above land is permitted for Non-Agriculture (Educational)Use as per Rules.

Signature & Seal of Competent Authority
Name:-MAHIPAL SINGH
Designation:-TEHSILDAR


तहसीलदार (भू.अ.)
दौतारामगढ़ (सीकर)


पटवारी
पटवार मण्डल
दौतारामगढ़

राजस्थान सरकार

कार्यालय ,तहसीलदार ,दांतारामगढ़, सीकर

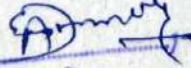
क्रमांक:- 217

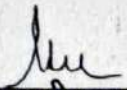
दिनांक :- 18.02.2026

LAND USE CERTIFICATE

प्रमाणित किया जाता है कि रैहान पब्लिक शिक्षण संस्था, दांता के नाम से दर्ज खसरा संख्या 1296/1/5,2594/1296,2595/1296,2593/1296,2596/1296 में कुल भूमि 11200 वर्ग मीटर के नाम से पूर्व में जारी भूमि उपयोगिता प्रमाण-पत्र (LAND USE CERTIFICATE) प्रमाण-पत्र क्रमांक 171 दिनांक 22.09.2021 के सन्दर्भ में पुनः सत्यापित किया जाता है कि उक्त खसरा संख्या से सम्बन्धित भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

1. उक्त खसरा संख्या के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक -एफ-16(10) भू.रु. /ग्रामीण/राजस्व/07/4305-13 दिनांक 21.09.2007, भूमि.रुपा./2014/राजस्व/2489-93 दिनांक 26.06.2014, PCCL/2021-22/100304 दिनांक-28.07.2021 है ।
2. उक्त भूमि पर समिति द्वारा संचालित महाविद्यालय संस्कार कॉलेज, दांता(सीकर) का भवन स्थित है ।
3. यह भवन संस्कार कॉलेज, दांता(सीकर) के शैक्षणिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाता है ।
4. उक्त समस्त खसरा संख्या की भूमि एक ही प्लॉट/परिसर, निकाय व तहसील में स्थित है ।


पटवारी
पटवार मण्डल
तहसील दांतारामगढ़


तहसीलदार (पू.अ.)
दांतारामगढ़ सीकर

क्रमांक

171

दिनांक 22/09/2021

द्वारा तहसील/नगरपालिका/नगरनिगम/विकास प्राधिकरण

हांतारा मण्डल (सीकर)

सेवामें

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा राजस्थान

जयपुर

विषय: भूमि-भवन प्रमाण पत्र

रहान पब्लिक शिक्षण संस्था हांता (सीकर) (समिति का नाम) द्वारा निवेदन करने पर मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से भूमि दस्तावेजों व भवन की जांच की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. भूमि का पता : जीणमाता बाईपास रोड, हांता, तहसील-हांतारा मण्डल (सीकर)

2. अवस्थिति

	जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर (विकास प्राधिकरण) क्षेत्र	अन्य सम्भागीय मुख्यालय (संभागीय मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	जिला मुख्यालय (जिला मुख्यालय की स्थानीय निकाय सीमा)	शहरी निकाय (स्थानीय शहरी निकाय की सीमा तक)	अन्य समस्त क्षेत्र
खसरा नंबर					2595/1296, 2596/1296
भूमि का वर्ग मीटर माप					1296/5, 1296/12
भूमि का प्रकार यथा शैक्षणिक /संस्थागत /आवासीय /वाणिज्यिक /कृषि भूमि					

जमाबंदी अनुसार समिति के नाम रिकॉर्ड में दर्ज उक्त खसरा संख्या/संख्याओं की भूमि मौके पर एकजुट/लगायत है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त भूमि वर्तमान में

रहान पब्लिक शिक्षण संस्था हांता (समिति का नाम) समिति के नाम दर्ज है।

(निम्न में से जो लागू न हो उसे काट दें)

1. उक्त भूमि पर संस्था का स्वयं का प्रस्तावित/संचालित महाविद्यालय का भवन स्थित है।

अथवा

2. उपर्युक्त भूमि व संस्था द्वारा प्रस्तावित महाविद्यालय का किराए का भवन एक ही तहसील सीमा में स्थित है।

तहसीलदार/संक्षम अधिकारी
(हस्ताक्षर/नाम/पद/मोहर)

33

सम्बंधित सत्र के अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में महाविद्यालय में नवीन प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

अनापत्ति

22.09.2021
प. हांता

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : DATA RAMGARH

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 04-08-2021 2:47 PM

Fee Receipt No	: 2021024970028/8	Receipt Date	: 04/08/2021
Name	: SDM	Document S. No.	: 202101497002852
Address	: DANTARAMGARH		
Document Type	: Rajasthan Land Revenue Act, 1956 under 90A		
Face Value	: ₹ 29028	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 291	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 200	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 522	Stamp Duty	: ₹ 1742
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 2755
		Total Amount	: ₹ 2755

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 52187169 ₹ 2755

Signature of presenter or applicant for
copy of Search certificate

Rani

Signature of recipient
and date of receipt

DATA RAMGARH (सीकर)

SUB-REGISTRAR





GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE DEPARTMENT

FORM-D

[See Rule 10(4)]

Office of Prescribed Authority: **SUB DIVISIONAL OFFICER, DANTARAMGARH**

Certificate Ref. No: PCCL/2021-22/100304

Date: 28-07-2021

REVISED CONVERSION ORDER

On the application of **REHAN PUBLIC SHIKSHAN SANSTHA DANTA** of village **DANTA (CT)** Tehsil **DANTA RAMGARH**, the agricultural land already converted for a non-agricultural purpose is here by converted for revised non-agriculture purpose under rule 10(4) of the Rajasthan Land Revenue (Conversion of Agricultural Land for Non-Agricultural in Rural Areas) Rules, 2007, the particulars of which are given as under:

1. Names of applicant tenants/ co-tenants: **REHAN PUBLIC SHIKSHAN SANSTHA DANTA**
2. Father's/husband's name: **JARIYE SACHIV PRAKASH CHAND BHAKAR**
3. Complete Address: **,,,RAJASTHAN-332702**
4. Mobile Number: **9636189960**
5. Email Id (if any): **PRAKASHBHAKAR11@GMAIL.COM**
6. Social Category (SC/ST/GEN etc.): **OBC**
7. Purpose of original conversion: **INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITIES**
Number and Date of the order: **BHU.RU./2014/RAJASW, 4/21/2014**
8. Revised Purpose of conversion: **INSTITUTIONAL PURPOSE & MEDICAL FACILITIES**
9. Details of the Land converted:
 - (a) Name of the District/ Tehsil/ Village : **SIKAR/ DANTA RAMGARH/ DANTA (CT)**
 - (b) Khasra No. of the land : **2595/1296,2596/1296**
 - (c) Area of each Khasra No. (in square meter): **2400,2400**
 - (d) Area converted of each Khasra No. (in square meter): **2400,2400**
 - (e) Area converted (in sq. meter): **4800**
10. Rate of conversion payable on original conversion (₹): **5/-**
11. Amount of premium deposited with original conversion (₹): **24000/-**
12. Rate of conversion charges payable on revised conversion (₹): **10.11/-**
13. Amount of premium deposited (₹) with revised conversion, date and no. of challan: **5028/-, 28/07/2021, 21367802804**
14. Amount of penalty deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**
15. Amount of interest deposited (₹), if any, with date and no. of challan: **0/-**
16. The above conversion order shall be subject to the following conditions:-
 - i. The land converted for the above non-agricultural purpose shall not be used for any other non-agricultural purpose. without obtaining prior permission of the Prescribed Authority.
 - ii. If the applicant fails to use the land for the revised converted purpose within a period of 2 years from the date of issue order, money deposited by the applicant shall be forfeited.
 - iii. No land as mentioned in rule 4 shall be used for any non-agricultural purpose.
 - iv. No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non-agricultural purpose without valid permission from the Prescribed Authority.



[Handwritten Signature]

Signature valid

Digitally Signed by Ashok Kumar
Designation : **SUB DIVISIONAL OFFICER**
DANTARAMGARH
Date: 2021.07.28 17:56 IST
Reason: Approved
Location: **SIKAR**

Note: This is a digitally signed certificate and does not require any physical signature.

[Handwritten Signature]
उप पंजीयक
दंतारामगढ़, सीकर

Copy to:-

- the purpose of land converted to residensial to institutional



-sd-

(SUB DIVISIONAL OFFICER,
DANTARAMGARH)



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
उप पंजीयक
दन्तारामगढ़, सीकर

Note: This is a digitally signed certificate and does not require any physical signature.

आशीक नक्शा नकल ग्राम दाता

तहसील - दातेरामगढ,

जिला - सीकर (राज.)

— x —



2594 1236	2595 1236
2593/1236	
1296/5	
2596/1236	



३५३ मा. ५०६५ पर दर्ज
२९/६/२०२४
सल-प्रतिलिपि


२९.०६.२०२४
एस.डी.ए.

C.S.
— 2A —

तहसील दातेरामगढ
दातेरामगढ (सीकर) राज.

शामिल रहे

उप पंजीयक
पंजीयन एवं मुद्रांक
दातेरामगढ (सीकर)



Presentation Endorsement

आज दिनांक 04 माह 08 सन् 2021 को 02:42 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री REHAN PUBLIC SHIKSHAN SANSTHAN DANTA C/O
PRAKASH CHAND BHAKAR पुत्र/पुत्री/पति श्री RAMDEV SINGH
BHAKAR

उम्र 41 वर्ष, जाति O-JAT, व्यवसाय Business
निवासी House No.:00, Colony: WARD NO.36 SHEKHAWATI
COLLEGE SHIV MANDIR SIKAR, Area: WARD NO 36
SHEKHAWATI COLLEGE SHIV MANDIR SIKAR, City: SIKAR, Pin
code: 332001, District: SIKAR, State: RAJASTHAN

मैं/हमारे सम्मुख दर्शाये गये पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202101497002852


उप पंजीयक
हस्ताक्षर उप पंजीयक
DATA RAMGARH

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202102497002878
दिनांक	04-08-2021
पंजीयन शुल्क ₹	291
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	200
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	1742
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	522
कुल योग	2755

202101497002852


उप पंजीयक
हस्ताक्षर उप पंजीयक
DATA RAMGARH

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956



Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता

छायाचित्र

अंगूठा

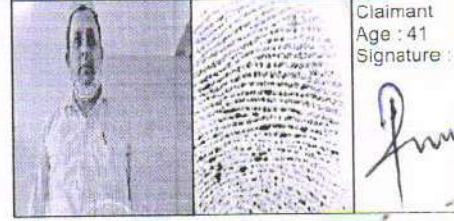
पक्षकारों का प्रकार

- 1 श्री/श्रीमती/सुश्री SDM DANTARAMGARH, पुत्र/पुत्री/पति श्री SDM, व्यवसाय जालि
Anya Sarkari Upkram



Executant
Age : 0
Signature :

- 2 श्री/श्रीमती/सुश्री REHAN PUBLIC SHIKSHAN SANSTHAN DANTA C/O PRAKASH CHAND BHAKAR, पुत्र/पुत्री/पति श्री RAMDEV SINGH BHAKAR, व्यवसाय Business जालि 0-JAT House No.:00, Colony: WARD NO 36 SHEKHAWATI COLLEGE SHIV MANDIR SIKAR, Area: WARD NO 36 SHEKHAWATI COLLEGE SHIV MANDIR SIKAR, City: SIKAR, Pin code: 332001, District: SIKAR, State: RAJASTHAN



Claimant
Age : 41
Signature :

ने लेख्यपत्र The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 को पढ़ मुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 29028/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 29028/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता

छायाचित्र

अंगूठा

हस्ताक्षर

- 1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ASHISH SHARMA, पुत्र/पुत्री/पति श्री GYAN CHAND SHARMA, जालि BRAHMIN
Age: 23
Add: House No.:00, Colony: JHUNJHUNUN, Area: JHUNJHUNUN, City: JHUNJHUNUN, Pin code: 333001, District: JHUNJHUNUN, State: RAJASTHAN



Signature

- 2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री BUDH PRAKASH, पुत्र/पुत्री/पति श्री ONKAR MAL जालि JAT
Age: 41
Add: House No.:00, Colony: KHINWASAR, Area: KHINWASAR, City: SIKAR, Pin code: 332316, District: SIKAR, State: RAJASTHAN



Signature

202101497002852

उप पंजीयक
उप पंजीयक DATA
DANTARAMGARH, SIKAR

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956



Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 29028 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 1742 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 291, सरचार्ज राशि 522 कुल रु 2555 रसीद संख्या 202102497002878 दिनांक 04-08-2021 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 1742 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202101497002852

उप पंजीयक,
दस्तावेज, सीकर
RAMGARH

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

Registration Endorsement

आज दिनांक 04/08/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 551 में
पृष्ठ संख्या 127 क्रम संख्या 202103497101717 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2400 के
पृष्ठ संख्या 219 से 223 पर चस्पा किया गया।

202101497002852

उप पंजीयक,
दस्तावेज, सीकर
DATA RAMGARH

The lease deed issued/executed in respect of the land placed at the disposal of the Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956

राजस्थान-सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (एस.डी.एम.) दांतारामगढ(सीकर)

कमाक/भूरू./2014/राजस्व/

दिनांक:-26.06.2014

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक श्री सुनील कुमार पुत्र राजकुमार नायक जाति नायक निवासी अणगासर रोड, झुझनू जिला झुझनू (राजस्थान) के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1	आवेदक खातेदार अभिघारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	श्री सुनील कुमार पुत्र राजकुमार नायक जाति नायक निवासी अणगासर रोड, झुझनू जिला झुझनू (राजस्थान)			
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है।	हां			
3	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	ग्राम दांता ग्रा.पं. दांता तह. दांतारामगढ(सीकर)			
	(ख)भूमि का खसरा ओर प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	खसरा नम्बर 1296/1/2 रकबा 0.24 है.			
	(ग)प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर)	ख.न.	रकबा	खुले क्षेत्र के रूप में रखने के लिये क्षेत्र (व.मीटर)	कुल संपरिवर्तित क्षेत्र भूमि (व. मीटर)
		1296/1/2	0.24	-	2400
		Total	0.24	-	2400
	टिप्पणी:- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	संपरिवर्तित भाग को संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित किया गया है जो संपरिवर्तन का भाग है।			
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ (ईकाई)			
5	संश्लेष प्रीमियम की दर	5 रुपये प्रति वर्गमीटर से रुपये 12000-			
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की राशि	चा.सं. 158 दिनांक 18.06.2014 से रुपये 12000- जीएनआर संख्या 3664625 दिनांक 06.06.2014			
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-			
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	-			
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है?	हां			
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	नेशनल रोड कॉग्रेस के नियमानुसार राडक सीमा छोडकर निर्माण कार्य किया जावेगा।			

उप खण्ड अधिकारी2.....
दांतारामगढ

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- 1 इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निःशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
- 2 संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालना किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
- 3 यदि प्रार्थी इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- 4 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक SE (NH) pa/5/d/1603 दिनांक 24-02-05 एवं परिपत्र क्रमांक f-2(8) raj/bhu-ru group 9/02 जयपुर dt. 20-11-04 भूमि रूपान्तरण अधिनियम एवं इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार लागू होंगे।
- 5 The land converted for the above non - agricultural purpose shall not be used for any other non agricultural purpose ,without obtaining prior permission of the prescribed authority.
- 6 No land mentioned in rule 4 shall be used for any non agricultural purpose.
- 7 No part of the land converted for public utility purpose shall be used for any other non agricultural purpose without valid permission from the prescribed authority.
- 8 If the applicant fails to use the land for the converted purpose within a period of 2 years from the date of the issue of this order the permission shall be withdrawn and the premium money deposited by the applicant shall be forfeited.
- 9 मुख्यमंत्री हरित राजस्थान योजना के तहत पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए प्रस्तावित खाली भूमि पर पेड़ पौधे लगाना अनिवार्य होगा।
- 10 राज्य सरकार के निर्देशानुसार भविष्य के लिए जल संचय हेतु भवन निर्माण के समय वाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी, दादर/सामगढ)

दिनांक:-26.06.2014

कंमाक/भूमि रुपा./2014/राजस्व/२५११-१३

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,सीकर।
2 तहसीलदार ,दांतरामगढ।
3 ग्राम पंचायत दांता ।
4 पटवारी हल्का दांता तह. दांतरामगढ।

4 पटवारा हल्का दाता रोड, पटवारा
✓ 5 श्री सुनील कुमार पुत्र राजकुमार नायक जाति नायक निवासी अणगासर रोड, झूझनू जिला झूझनू
(राजस्थान)

6 रक्षी पत्रावली
 दिनांक ११/११/१९४८
 को पृष्ठ सं. १५
 से पृष्ठ सं. २० तक २३/११/४८ पर पंजीकृत
 किया गया, तथा प्राथमिक पृष्ठ सं. १
 बिल्व पृष्ठ सं. १५/११/४८ पर
 किया गया।
 यशविन प्रकाश
 (११/११/४८) (सी.एन.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर)सीकर

क्रमांक:-एफ.16(b)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/07/

दिनांक 21/ सितम्बर, 2007

संपरिवर्तन आदेश

रेहान पब्लिक शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष, श्री पुखराज पुत्र तुलसीराम एवं सचिव, रामनिवास पुत्र रामलाल निवासी कुचामन हाल आबाद दांता के आवेदन पर एवं उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज0 जयपुर से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक प.2 (110)राज/भू.रू./07 जयपुर, दिनांक 21.7.07 एवं संशोधन आदेश प.2 (110)राज/भू.रू./07 जयपुर, दिनांक 12.9.2007 के अनुसरण में आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन)नियम,2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है-

1.	आवेदक खातेदार अभिघारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	:	रेहान पब्लिक शिक्षण संस्थान दांता जरिये अध्यक्ष, श्री पुखराज पुत्र तुलसीराम एवं सचिव, रामनिवास पुत्र रामलाल निवासी कुचामन हाल आबाद दांता
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	नहीं
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा	:	
	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत तहसील का नाम	:	ग्राम दांता, तहसील दांतारामगढ़
	(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)।	:	ख.न. 1296/5 रकबा 0.25 हेक्टेयर सम्पूर्ण
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	:	ख.न. 1296/5 रकबा 0.25 हेक्टेयर सम्पूर्ण
	टिप्पणी :- (अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	:	संलग्न है।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	सांस्थानिक प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:	रुपये 5.00 प्रति वर्गमीटर की दर से 2500 वर्गमीटर के 12,500/- रु.
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	:	1. चालान न.363 दिनांक 18.08.2007 राशि रुपये 6250/- 2. चालान न.362 दिनांक 18.08.2007 राशि रुपये 56250/-
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	:	चालान न.362 दिनांक 18.08.2007 राशि रुपये 56250/-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	:	शून्य

9.	क्या आदेश विधायीकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	-
10.	अन्य विधित्तियों यदि कोई हो	इन्डियन रोड कांटेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोड़ी जाए।

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत होगा :-

1. इन्डियन रोड कांटेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निम्नलिखित राज्यपथ में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जायेगी।
2. निकटस्थ स्थानीय निकाय की उप विधियों तथा शिक्षण व अनुसन्धान संस्थान का निर्माण बाबत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया जा सकेगा।
3. संपरिवर्तित कुल भूमि का 40 प्रतिशत क्षेत्र मकानों के लेसकुद की व्यवस्था एवं पार्क, वाहन पार्किंग के लिये खुला रखना होगा।
4. यदि संस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग से स्कूल तक जाने के लिये रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संपरिवर्तित सड़कों से स्कूल तक जाने के लिये रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
5. संबंधित ग्राम पंचायत के नियमों का पालन किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
6. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6(6) राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जाये।

—
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर, सीकर).

क्रमांक:-एफ.16(15)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/07/4505-13 दिनांक:- 21-9-07

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपांतरण) विभाग, राज 0 जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर सभाग, जयपुर
3. उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़
4. तहसीलदार दातारामगढ़ नक्शा देस की प्रति सहित।
5. जिला राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट, सीकर
6. सरपंच, ग्राम पंचायत दांता
7. अध्यक्ष, श्री मुखराज पुत्र तुलसीराम एवं सचिव, रामनिवास पुत्र रामलाल निवासी कुचामन हाल आबाद दाता
8. रक्षित पत्रायली

③
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलक्टर, सीकर).